


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म का तामील  
में जारी हुए

20/10/2021

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित हुआ है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 29.04.2010 से व्यथित होकर के रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यदि रिव्यू प्रस्तुतकर्ता को हाजा न्यायालय के पूर्व के निर्णय से कोई उजर एवं आपत्ति हो तो रिव्यू प्रस्तुतकर्ता उसकी अपील उच्चतर न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही न्यायहित में रिव्यू प्रस्तुतकर्ता के अपील के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हाजा न्यायालय रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपने स्तर से किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता है। परिणाम स्वरूप रिव्यू प्रार्थना पत्र इसी स्तर से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
पाली